

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

पटना-15, दिनांक : 27 मार्च, 2019

संख्या-1/पी0-1005/2013 -सा0प्र0-4153/राज्य में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत पदाधिकारी-श्री रवीन्द्र नाथ राय, आई0आर0एस0 ई0 (95) , विशेष सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना की राज्य प्रतिनियुक्ति अवधि को उनके पैतृक विभाग-रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त सहमति के आलोक में दिनांक-16.06.2019 के प्रभाव से अगले दो (02) वर्षों के लिए अर्थात्, दिनांक- 15.06.2021 तक विस्तारित की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

27.3.19
(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-1/पी0-1005/2013 -सा0प्र0- 4153 /पटना-15, दिनांक:27मार्च,2019

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित(द्वारा- आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार-सह- प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना/ राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार पटना/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, भारत सरकार, नई दिल्ली-110 001/सचिव, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली-110 001/श्री सी0 के0 विनोद, अवर सचिव, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली-110 001 को उनके पत्रांक-2016/ई (ओ0)II/7/59 दिनांक 25.02.2019 के प्रसंग में/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/संबंधित पदाधिकारी/संबंधित विभाग/महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर, वैशाली/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/भू-संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/ आई0टी0 मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना(विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01 एवं 06 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.3.19
(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।